किस्म मुकदमा ~~[illegible]~~ अवैध नं. 10/19 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11/2/19	अवैध वादिनी द्वारा यह वाद योजित किया गया। अवैध होने से सम्बन्धित प्रकरणों को पहिले समय तय किया जावे। पश्चात्वर्ती दिनांक 7/3/19 को पेश हो।	
7/3/19	वकील वादिनी हाजिर। वकील वादिनी ने पूर्वोक्त पत्र प्रस्तुत कर इत्तला कराई है कि वाद में कोई कानूनी त्रुटि रह गयी है इसलिए इस वाद को खारिज कराना चाहते हैं। तावद्वादिनी नया दावा पेश कर सके। अतः पश्चात्वर्ती दिनांक 9/3/19 को शरीक लोक अदालत में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	
9/3/19	वकील वादिनी हाजिर। उन्हें सुना गया अतः वकील वादिनी की प्रार्थना पर यह वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है तथा नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। पश्चात्वर्ती कोर्ट फीस मुजरा होकर दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	